समाहरणालय,अररिया
(जिला राजस्व प्रशाखा)

बिहार सरकार

दूरभाष सं0 : 06453–222001(का0)
: 06453–222102(आ0)
फैक्स सं0 : 06453–222124
email - dm-araria.bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा सूचना

अररिया जिलान्तर्गत नया जमाबंदी खोलने अथवा जमाबंदी का रद्दीकरण की प्रक्रिया का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु जमाबंदी पंजी–2 एवं सर्वे खतियान की उपलब्धता एवं इसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। संबंधित दस्तावेज अधिक पुराना होने के कारण वे नष्ट हो रहे है, जिसे सुरक्षित रखने हेतु जिला के अंचल कार्यालयों/राजस्व हल्का कार्यालयों एवं अभिलेखागार में उपलब्ध जमाबंदी पंजी एवं सर्वे खतियान को स्कैनिंग कराकर ऑनलाईन प्रकाशन किया जाना है। जिला में उपलब्ध जमाबंदी पंजी एवं खतियान के पृष्ठों की स्कैनिंग चार प्रतियों में किया जाना है। जिसका कपड़ा बाईंडिंग भी किया जाना है।

उपरोक्त कार्यों के करने के लिए इच्छुक एजेंसी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को अलग–अलग लिफाफों में निम्न शर्त्तों के साथ दिनांक 23.03.2015 को 03:00 बजे अपराह्न तक जिला राजस्व शाखा, अररिया में दे सकते है। सभी निविदा दिनांक 23.03.2015 के 05:00 बजे अपराह्न में जिला पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदाता एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा देने से पूर्व विशेष जानकारी हेतु अपर समाहर्त्ता, अररिया से किसी कार्य दिवस पर सम्पर्क कर सकते है। कार्यावंटन से पूर्व समिति द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर एकरारनामा कर हस्ताक्षर करना होगा।

तकनीकी निविदा में सफल संवेदकों की हीं वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

(क) तकनीकी निविदा की शर्त्तें :–

1. कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता को आयकर विभाग एवं वैट का निबंधन एवं अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0–10,000/– (दस हजार) रू0 मात्र का बैंक ड्रॉफ्ट मूल में जिला पदाधिकारी, अररिया के पदानाम से संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को निम्नांकित सामग्री आपूर्ति स्वयं करनी है :–

हार्डवेयर :–

(i) स्कैनर लीगल साईज
(ii) कम्पयूटर सेट
(iii)फोटो पेपर लीगल साईज

सॉफ्टवेयर :–

(i) स्कैनर सॉफ्टवेयर

5. निविदादाता को तकनीकी क्षमता एवं उनके पास उपलब्ध संसाधन का विवरण (कम्पयूटर सेट, स्कैनर, ऑपरेटरों/स्टॉफ की सं0, जेनरेटर सेट आदि)
6. निविदादाता को लेजर प्रिंटिंग हेतु (ऑरिजिनल टोनर) का तथा लीगल साईज का सेन्चुरी ग्रीन पेपर का हीं उपयोग करना होगा।
7. निविदाता को निविदा के साथ उनका प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज है या नहीं, से संबंधित शपथ पत्र देना आवश्यक है।
8. सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर समाप्त करना होगा।
9. भुगतान स्पष्ट एवं पठनीय स्कैनिंग प्रति के आधार पर होगा।
10. निर्धारित समय–सीमा के अंदर कार्य सम्पादन नहीं होने की स्थिति में प्रतिदिन मो0–1,000/– (एक हजार) रू0 मात्र की दर से कटौती विपत्र से की जायेगी, साथ हीं अग्रधन की राशि जब्त करते हुए प्रतिष्ठान को काली सूची में डाल दी जायेगी।
11. किसी भी स्थिति में Sub Contracting स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसी सूचना होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संबंधित प्रतिष्ठान के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
12. निविदादाता को शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा व्यवहृत सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर लाईसेंस/लीगल/ऑथोराईज्ड है।
13. आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये स्थल पर कार्य करना अनिवार्य होगा। साथ हीं अस्थायी विद्युतीकरण हेतु जेनरेटर की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं हीं करनी होगी।
14. विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यों के लिए समय–सीमा पुनरीक्षित किया जा सकता है, तदनुसार निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य समाप्त करना होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए www.prdbihar.gov.in एवं अररिया जिला के वेबसाईट www,araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

11/3/15

जिला पदाधिकारी
अररिया